


245

248
2-6-14

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर पीठ रीवा (म0प्र0)



श्री. शारदा. पुलाडीगमी
द्वारा अप्रैल 2014 के
प्रस्तुत किया गया।
M
रेडर
सर्किट कोर्ट रीवा

जगजीवन लाल तनय स्वर्गीय गंगा प्रसाद वैश्य उम्री वर्ष
निवासी ग्राम तिघरा, थाना व तहसील सिगरौली, जिला सिगरौली
(म0प्र0) ————— आवेदक

बनाम

22-7-14 1— श्याम कार्तिक तनय रामअनुग्रह निवास स्थान ग्राम तिघरा, थाना व
तहसील सिगरौली, जिला सिगरौली (म0प्र0)

2— म0प्र0 राज्य ————— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश न्यायालय
राजस्व निरीखक मण्डल शासन तहसील
सिगरौली जिला सिगरौली म0प्र0, रा0प्र0क0—
03 / अ-12 / 2013—14 आदेश दिनांक
30 / 12 / 2013
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित है :-

- 1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन की कार्यवाही
एवं उस पर पारित आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से
निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2— यह कि सीमांकन कार्यवाही में सरहदी काश्तकारों को सूचना दिये
बिना तथा प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना सीमांकन की कार्यवाही

MJ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-2110-II/14

जिला-सिंगरौली

जगजीवनलाल वैश्य/ श्याम कार्तिक

(1)

(2)

19.12.18 -

- आवेदक की श्री अनिल तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल शासन, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 03/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपति संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य

